


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, मार्च 6—मार्च 12, 2016, शनिवार/फाल्गुन 16—फाल्गुन 22, 1937
No. 8] NEW DELHI, MARCH 6—MARCH 12, 2016, SATURDAY/PHALGUNA 16—PHALGUNA 22, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नीति आयोग

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और योजना आयोग (सहायक कल्याण अधिकारी का अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2000, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था में सहायक कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संबद्ध वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक कल्याण अधिकारी	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक सेवा उपक्रमों या अर्ध- सरकारी

	<p>या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या;</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, में 5200-20,200 रु. वेतनमान+ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20,200 रु. वेतनमान+ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की है; या</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ।</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।</p> <p>(ii) कर्मचारीवृंद कल्याण क्रियाकलापों में एक वर्ष का अनुभव ।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	पद के भरे जाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/5/2009-प्रशा.-IV]

सुनील कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA AAYOG

New Delhi, the 1st March, 2016

G.S.R. 39.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Non-Secretariat post of Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Welfare Officer in the National Institution for Transforming India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Welfare Officer	1* (2016) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/-	Not applicable

Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation including short term contract	<p>Deputation including short term contract: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or public sector or semi-Government or autonomous or statutory organisations ,-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department; (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2400/- or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised university. (ii) One year experience in staff welfare activities.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has</p>	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

	been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		
--	--	--	--

[F. No. A-12018/5/2009-Adm.- IV]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय
(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एनसीएसटी) के लिए प्रारूप भर्ती नियमावली

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में उन पदों के लिए भर्ती नियमावली जो छठे वेतन आयोग से पूर्व समूह 'घ' वेतनमान में थे और जिन्हें समूह 'ग', पे बैंड 1 (5200-20200 रु.)+ 1800 ग्रेड पे में रखा गया है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	मल्टी – टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	1.12.2015 को यथा स्वीकृत-29
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयिक
4.	पे बैंड और ग्रेड पे	पे बैंड 1(5200-20200 रु.) + 1800 ग्रेड पे
5.	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद ?	लागू नहीं
6.	क्या सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुमेय सेवा के जोड़े गए वर्षों का फायदा स्वीकार्य है ?	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	18-25 वर्ष की आयु के बीच टिप्पणी : (1) आयु-सीमा को निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि, भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी सब डिवीजन के लिए विहित अंतिम तिथि नहीं जिसका अर्थ है कि इन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए अन्य अंतिम तिथि हो सकती है)। (2) एम्प्लोएमेंट एक्सचेंज के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जो एम्प्लोएमेंट एक्सचेंज को नाम प्रस्तुत करने के लिए कही जाती है। (3) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए छूट सरकारी निर्देशों के अनुसार होगी।
8.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (सेकेन्डरी स्कूल परीक्षा) उत्तीर्ण जिसके साथ केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कार्यालयों और/या केन्द्रीय/ राज्य लोक क्षेत्र उपक्रमों में दो वर्षों का कार्य अनुभव। कम्प्यूटर प्रचालन कौशल, ड्राईविंग लाइसेंस, आईटीआई संबंधी कौशल आदि जैसे अतिरिक्त कौशल वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
9.	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी ?	लागू नहीं

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 के संशोधनके लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (सहायक कल्याण अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 में

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।” ;

(ii) अनुसूची में

(क) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-6
(₹35,400-1, 12,400)”;

(ख) स्तंभ (11) के सामने क्र. सं. क(ii) में “वेतन बैंड-1 में 5200-20,200 रु. वेतनमान + ग्रेड वेतन 2800 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “स्तर-5 वेतन मैट्रिक्स में (₹29,200-92,300)” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ग) स्तंभ (11) के सामने क्र. सं. क(iii) में “वेतन बैंड-1 5200 – 20,200 रु. वेतनमान + ग्रेड वेतन 2400 रु.” शब्दों और अंकों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25,500-81, 100)” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(घ) स्तंभ (11) में “टिप्पण 3” का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/04/2016-प्रशा.IV]

गुलवीना बधान, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39, तारीख 01 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 23rd January, 2018

G.S.R. 51.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016, namely:—

1. (1) these rules may be called the National Institution for Transforming India, (Assistant Welfare Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institution for Transforming India (Assistant Welfare Officer) Recruitment Rules, 2016.

(i) for rule 2 the following shall be substituted, namely:—

“2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(ii) In the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:—

“Level in Pay Matrix
(4)
Level 6
(Rs. 35400 – 1,12,400)”;

(b) in column (11) serial number (a)(ii), for the words and figures “pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800/-”, the words and figures “Level-5 (Rs. 29200 – 92300) in the pay matrix” shall be substituted.

(c) in column (11) against serial number (a) (iii), for the words and figures “pay band-1, Rs. 52-20200 with grade pay of Rs. 2400/-”, the words and figures “level -4 (Rs. 25500 – 81 100) in pay matrix” shall be substituted.

(d) in column (11) “Note 3” shall be omitted.

[F. No. A-12018/04/2016-Adm.IV]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

Footnote : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 39, dated the 01 March, 2016.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 के संशोधनके लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नीति आयोग (नयाचार अधिकारी) भर्ती नियम, 2015 में

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“**पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”;